change in the rate of exchange at any time after the acquisition of the assets if any liability in respect of the acquisition of such assets remained unpaid on the date of the devaluation and in respect of which increased payment had to be made. It is not possible to state what adjustments have already been made or may be made since the issue of the Notification by thousands of companies which may be concerned as there is no requirement that they should specifically mention in their balance-sheets the additions made to the original cost as a result of devaluation.

ट्रैक्टरों और शक्ति-चालित हलों का निर्माण

*717. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में वास्तव में केवल 11,400 ट्रैक्टर ही बने थे जबकि उनकी उत्पादन क्षमता 30,000 ट्रैक्टर है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस वर्ष स्थिति कैसी है और इस वर्ष कितने ट्रैक्टर बनाये जाने की सम्भावना हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1967-68 में 26,000 शक्ति चालित हल प्रति वर्ष बनाने के लिए लाइसेंस दिये गयें थे जबकि केवल 585 ऐसे हल वास्तव में बने थे ; और

(ड.) यदि हां, तो कृषकों को शक्ति चालित हल उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस समय देश में पांच एकक ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी कुल लाइसेंस प्राप्त/ स्वीकृत क्षमता 30,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष है । फिर भी उनकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 16,000 प्रति वर्ष तक सीमित है । इसमें से इन कारखानों ने 1967-68 में 11,394 ट्रैक्टर तैयार किए ।

(ख) अपनी पूरी स्थापित क्षमता तक पहुंचने के लिये ट्रैक्टर बनाने के विद्यमान कारखानों को अभी और मशीनें लगानी हैं । अपेक्षित मशीनों का आयात करने के लिये उन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा संबंधी सहायता दे दी गई हैं और अब वे अपनी निर्माण क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं । अतिरिक्त मशीनें लग जाने से उनसे आशा की जाती है कि वे आगामी दो या तीन वर्षों के अन्दर अपनी सम्पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक उत्पादन करने लगेंगे ।

(ग) देश में 1968-69 के दौरान लगभग 19,000 से लेकर 20,000 ट्रैक्टरों तक उत्पादन होने लगने की आशा है ।

(घ) मार्च, 1968 के अंत तक शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिए तीन फर्मों को लाइसेंस दिए गए थे जिनकी कुल लाइसेंस क्षमता 14,000 प्रति वर्ष है । लाइसेंस प्राप्त इन तीन एककों में से अभी तक केवल एक में उत्पादन शुरू हुआ है । 1967-68 में इस एकक की उत्पादन संख्या 479 थी ।

(ड.) शक्ति चालित हल उद्योग के शीघ्र विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इस उद्योग को उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से 7 फरवरी, 1968 से मुक्त कर दिया गया है । लाइसेंस हटा दिए जाने के बाद कुछ योजनाएं मिली हैं जो विचाराधीन हैं । पहले लाइसेंस प्राप्त स्वीकृत एककों से यह कहा जा रहा है कि वे जितनी जल्दी से जलदि हो सके अपनी अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करें ।